कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर–जयपुर)

भुसावर : भरतपुर (राज.) पिन 321406

Azadi Ka Amrit Mahotsav

डॉ. उदय भान सिंह
डीन

मों: 9414714234

Email.:- dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांकःप.( )/संस्था/कृमविभु/2025/ 552 दिनांकः 26/09/2025

<u>सीमित नीलामी – सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर के कलमी बाग में आवंला के 202 पेड़, अमरूद के 214 पेड़ एवं बेर के 90 पेड़ों में फलत है। इन पेड़ों के फलों की नीलामी की जानी है। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 04.10.2025 को दोपहर 02:00 बजे कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर (कलमी बाग) पर मौके पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। धरोहर राशि जमा कराने वाले बोलीदाता ही नीलामी में भाग ले सकेगें। नीलामी सूचना को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

नीलामी से सम्बन्धित शर्तें एवं कार्य जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्य समय के दौरान प्राप्त कर सकते है।

अधिष्ठाता

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
3. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/..।
4. कृषि महाविद्यालय, भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. तहसील कार्यालय व पंचायत समिति भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
6. रक्षित फाइल

अधिष्ठाता

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर–जयपुर)
भुसावर : भरतपुर (राज.) पिन 321406

Azadi Ka Amrit Mahotsav

डॉ. उदय भान सिंह
डीन

मों: 9414714234
Email.:- dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांकःप.( )/संस्था/कृमविभु/2025/ 552 दिनांकः 26/09/2025

नीलामी – सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर, मे आवंला, अमरूद एवं बेर के फलों की नीलामी की जानी है।

नीलामी स्थानः– कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर (कलमी बाग)

नीलामी की दिनांक :– 04.10.2025 (शनिवार)

समयः– दोपहर 02:00 बजे से।

नीलामी सम्बन्धी शर्तो का विवरणः–

1. प्रत्येक बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पहले रूपये 5000/–(अक्षरें रूपये पॉच हजार मात्र) धरोहर राशि जमा करवानी होगी। जिस बोलीदाता के नाम अंतिम बोली छूटेगी उसकी धरोहर राशि सिक्यूरिटी राशि के रूप में जमा कर ली जायेगी। अन्य बोलीदाताओ की धरोहर राशि उसी दिन बोली पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी।
2. नीलामी मे भाग लेने का अधिकार केवल धरोहर राशि जमा करवाने वाले व्यक्तियों का ही होगा। अंतिम बोली को छोडने या नही छोडने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
3. बोली छूटने के बाद बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण राशि दो दिवस में कार्यालय में जमा करवानी होगी।
4. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह अन्य व्यक्ति को ठेका नही दे सकेगा।
5. बोली छूटने के बाद 15.03.2026 तक उपरोक्त उत्पादो पर सफल बोलीदाता का अधिकार होगा।
6. फलों का निरीक्षण बोलीदाता स्वयं फील्ड में जाकर अवश्य कर लें।
7. उपरोक्त उत्पाद को फार्म से बाहर ले जाते समय फार्म मैनेजर से गेटपास लेना जरूरी होगा।
8. प्राकृतिक आपदा (ऑधी, तूफान, बारिश, ओले, पाला आदि) की स्थिति होने पर फलोत्पादन में होने वाली मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी की कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. फलों की तुडाई, परिवहन कार्य आदि के दौरान किसी भी श्रमिक का अंग भंग होने, घायल होने या अन्य घटना होने की स्थिति में ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
10. फलो की तुडाई /बेचान कार्य दिवस एवं कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे में फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर की देखरेख में करनी होगी।
11. फलों में सिचांई करने, थाला बनाने तथा अन्य रख–रखाव करने की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
12. प्रशासन की पूर्वानुमति से सुखे एवं अनुउत्पादक पौधो को काटा जा सकता है, निविदा के समय ऐसे पौधो को शामिल नही किया गया है, अतः ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे की मांग नही कर सकता है।
13. नीलामी में फलन (उत्पादन) वाले पौधो को ही शामिल किया गया है।
14. सफल निविदादाता को बगीचे मे लगने वाले खाद, उर्वरक (फॅफूदनाशी व पेस्टीसाइड) रोग लगने के परीक्षण उपरान्त ही दवाई दी जायेगी तथा इनको पौधो में देने का कार्य निविदादाता करेगा।
15. सफल निविदादाता अमरूद, बेर एवं आंवला के बगीचो की चौकीदारी स्वयं करेगा तथा बगीचे में की जाने वाली फसलों की चौकीदारी भी निविदादाता की होगी।
16. निविदादाता द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिको की किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
17. सफल निविदादाता को 100/– रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा।
18. बगीचों में लगे पौधों मे किसी भी प्रकार की क्षति नही होनी चाहिए, यदि क्षति होगी तो निविदादाता को कमेटी द्वारा तय जुर्माना देना पडेगा।
19. महाविद्यालय फार्म पर कॉलेज भवन, हॉस्टल सहित अन्य भवन, फार्म उपकरण, फार्म पर लगाये गये पौधे व नर्सरी पौधो तथा अन्य कीमती सामान है, उनकी क्षति व चोरी आदि नुकसान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी नुकसान या क्षति का कमेटी द्वारा तय जुर्माना निविदादाता को देना होगा।

DEAN
College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)